कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध/मुख्यालय, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक:05.08.2024

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 महोदय के निदेशानुसार कमिश्नरेट वाराणसी में पिछले 01 माह में महिलाओं / बालिकाओं को सुरक्षा के लिए एंटीरोमियों स्कवायड द्वारा शोहदो-मनचलों के खिलाफ की कार्यवाही का विवरण।

पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी के कुशल नेतृत्व में व अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के निर्देशानुसार एंटीरोमियो स्क्वायड द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु कमिश्नरेट वारणसी के समस्त थाना क्षेत्रार्गत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण स्थानों, घाट, पार्क, मौल प्रमुख चौराहो, बाजार, बस स्टैंड आदि पर बालिकाओं /महिलाओं से वार्ता कर एण्टी रोमियो द्वारा कार्रवाही किये जाने तथा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गंभीर मामला प्रकाश में आता है तो एण्टी रोमियो स्क्वॉड को गिरफ्तारी का भी अधिकार है।

उपरोक्त निर्देशानुसार एण्टी रोमियो स्कावायड द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी कुल 929 सार्वजनिक स्थलो, स्कूल/कालेजो एवं पार्को की चेकिंग की गयी, जिसमें 1454 व्यक्तियो को चेक किया गया तथा 316 व्यक्तियो को चिन्हित किया गया। पिछले 01 माह में 01 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा 56 व्यक्तियो के परिजनो से जरिये दूरभाष वार्ता कर छोड़ा गया। 56 व्यक्तियो के विरूद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट एवं 01 व्यक्ति के विरूद्ध 29 (1) बीएनएस की कार्यवाही की गयी।

महिलाएं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर जैसे 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन 102 स्वास्थ्य सेवा 108 एंबुलेंस सेवा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 1078, 181, 112 आदि के बारे में जागरूक करते हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किये जाने एवं महिला सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील क्षेत्र महिलाओं व छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सोशल मीडियासेल
अपर पुलिस उपायुक्त,
महिला अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।